उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-905/ग्यारह-9(65)/15-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(135)-2015

लखनऊः दिनांकः 06 जुलाई 2015

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक एवं अनुसूची-दो में दिनांक 07 जुलाई, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैंः-

<u>संशोधन</u>

(क) उक्त अनुसूची-एक में क्रम संख्या 13 की प्रविष्टि में अर्द्धविराम और शब्द **"; सोलर इनर्जी डिवाईसेसए सोलर इनर्जी इक्विपमेंट्स एवं उनके पार्ट्स"** अन्त में बढ़ा दिये जायेंगे।

(ख) उक्त अनुसूची-दो में भाग-क में क्रम संख्या 108 पर दी गयी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्:-

"108- रिन्यूवेबिल इनर्जी डिवाईसेस एण्ड स्पेयर पार्ट्स जो किसी अन्य अनुसूची में सम्मिलित न हो"

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in